

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2016

G.S.R. 651(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Tuticorin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016 made by the Board of Trustees for the Port of V.O.Chidambaranar and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Amendment Regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULEV.O.CHIDAMBARANAR PORT TRUSTTuticorin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016

In exercise of powers conferred under section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963, (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of V.O.Chidambaranar hereby makes the following regulations further to amend the Tuticorin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2008 – namely:-

1. Short title and commencement:

- (i) These Regulations may be called as the Tuticorin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016.
- (ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government, as required under the provisions of Section 124 and 132 of Major Port Trusts Act, 1963, in the Gazette of India.

2. In the Tuticorin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2008, in Regulation 4, after the words "in exceptional circumstances, this can be extended to five years", the following shall be inserted namely:-

"by the Central Government in case of a post, the incumbent of which is regarded as the Head of Department; and in the case of any other post below the level of Head of Department by the Chairman"

[F. No. PR-12012/9/2014-PE-I]

BARUN MITRA, Jt. Secy.

Foot Note: The principal Regulations were Gazette Notified *vide* G.S.R. 603(E) dated 21.08.2008

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 652(ब).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के न्यासी मंडल द्वारा बनाई और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में निर्धारित किए अनुसार जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, बरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियमावली, 2016 को अनुमोदन देती है

2. उक्त संशोधित विनियमावली इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी।

अनुसूची**जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास****जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन****विनियमावली, 2016**

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास का न्यासी मंडल जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियमावली, 2011 को फिर से संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा :

(1) संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :

- (i) इस विनियमावली का नाम "जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियमावली, 2016" होगा।
- (ii) यह विनियमावली महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 124 एवं 132 के उपबन्धों के अंतर्गत आवश्यक केन्द्र सरकार द्वारा दी गई मंजूरी के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी।

(2) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियमावली, 2011 के विनियम 4 के पहले अनुच्छेद के अंतिमी वाक्य में "असाधारण परिस्थितियों में - - - 5 वर्ष" को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"असाधारण अथवा अपवादी परिस्थितियों में इसे, विभागाध्यक्ष के समकक्ष पद के मामले में केन्द्र सरकार द्वारा और विभागाध्यक्ष से नीचे के किसी पद के मामले में अध्यक्ष द्वारा 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

[फा. सं. पीअर-12012/9/2014-पीई-1]

बरुण मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : प्रधान विनियमावली दि. 21 जनवरी, 2011 को सं. साकानि 43(स्य.) के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2016

G.S.R. 652(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016 made by the Board of Trustees for the Port of Jawaharlal Nehru and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Amendment Regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE**JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST****Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016**

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963(38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Jawaharlal Nehru hereby makes the following regulations further to amend the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotions) Regulations, 2011, namely :

1. Short Title and Commencement :

- (i) These Regulations may be called as the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016.
- (ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Section 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 in the Gazette of India.
2. In the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2011, in Regulations 4, the last sentence of paragraph 1, "In exceptional circumstances --- five years," shall be substituted by the following :-

"In exceptional circumstances, this can be extended to 5 years by the Central Government in case of a post, the incumbent of which is regarded as the Head of a Department; and in the case of any other post below the level of Head of Department, by the Chairman."

[F. No. PR-12012/9/2014-PE-I]

BARUN MITRA, Jt. Secy.

Foot Note : Principal Regulations published vide G.S.R. 43(E) dated 21st January, 2011.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 653(अ).—महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित, धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार पारादीप पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दिए गए पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त संशोधित विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची

पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारादीप पत्तन न्यास का न्यासी बोर्ड पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2011 में संशोधन हेतु निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (i) ये विनियम, पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 कहलाएंगे।
- (ii) वे भारत के राजपत्र में महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 के प्रावधानों के तहत अपेक्षानुसार केन्द्र सरकार के अनुमोदन के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम 2011 में, विनियम 4 में प्रथम पैराग्राफ के अंतिम वाक्य "असाधारण परिस्थितियों में, -मौद्र वर्ष" को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए।

ऐसे पद के मामले में, जिसमें पंद्रहरी दिनांक प्रमुख के रूप में हो, केन्द्र सरकार द्वारा और विभाग प्रमुख स्तर से नीचे अन्य किसी पद के मामले में अध्यक्ष द्वारा असाधारण परिस्थितियों में इसे पाँच वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।"

[फा. सं. पीआर -12012/9/2014-पीई- I]

बरुण मित्रा, संयुक्त सचिव

नोट- मूल विनियम को भारत के राजपत्र के असाधारण संस्करण में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 386(अ) दि. 14 मई, 2011 द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है।